

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 96/17

उनवान

- 1 उदयलाल पिता बगतावर जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 2 मांगीलाल पिता बगतावर जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 3 नन्दु पुत्री बगतावर जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अनिल कुमार पिता जगदीश प्रसाद नुवार निवासी 9 मेन सेक्टर शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगद्दी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 10.06.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 10.06.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रायसिंहपुरा पटवार मण्डल बरण भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 16 के आ0न0 947, 948, 949 कुल किता 03 कुल रकबा 06-09 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प बरण में दिनांक 10.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में औपचारिक पक्षकार राज्य पक्ष तहसीलदार बनेड़ा जरिये हल्का पटवारी बरण से शिविर के दौरान रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रिकार्ड पर ली गई। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायसिंहपुरा पटवार मण्डल बरण भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 16 के आ0न0 947, 948, 949 कुल किता 03 कुल रकबा 06-09 बीघा, भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बरण को 700/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी

बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 10.06.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 96/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी

बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 10.06.2017